समाहरणालय, मधुबनी (बिहार)
Collectorate, Madhubani

(जिला आपूर्ति शाखा)

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु

–: आम सूचना :–

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1663/खाद्य, दिनांक–18.04.2023 एवं बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 जो विभागीय अधिसूचना संख्या–1750/खाद्य, दिनांक–10.03.2016 में निहित प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–962, दिनांक–22.01.2021, परिपत्र संख्या–2526, दिनांक–18.06.2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–14396, दिनांक–10.09.2024 के प्रावधानों के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुमोदित रोस्टर के आधार पर मधुबनी जिले के मधुबनी सदर/जयनगर/बेनीपट्टी एवं फुलपरास अनुमंडल अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानों की कुल रिक्तियाँ निम्न प्रकार है :–

क्र0	अनुमंडल का नाम	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पिछड़े वर्ग की महिलायें	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनारक्षित		कुल रिक्ति की संख्या
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सदर, मधुबनी	0	0	04	02	09	05	0	0	0	07	03	49	25	104
2	जयनगर	0	0	0	0	02	01	0	0	0	02	0	11	05	21
3	बेनीपट्टी	02	0	01	0	09	04	0	0	0	02	01	06	03	28
4	फुलपरास	0	0	02	01	0	0	0	0	0	03	01	24	12	43
कुल		02	0	07	03	20	10	0	0	0	14	05	90	45	196

इस प्रकार कुल–196 जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति हेतु संबंधित पंचायत/वार्ड/नगर पंचायत/नगर परिषद् के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. - व्यक्ति अनुसूची–1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिक की सहयोग समितियाँ अनुसूची–2 में अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी (अनुज्ञापन पदाधिकारी) के कार्यालय में **दिनांक–07.08.2025** से **दिनांक–06.09.2025** तक कार्यालय अवधि में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर चिन्हित काउन्टर पर प्राप्त किये जायेगें। निर्धारित तिथि के संध्या 5:00 बजे के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. - उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य एवं मेघा को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. - अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकताएँ प्रदान की जायेगी–
(i) स्वयं सहायता समूह (ii) महिलाओं की सहयोग समितियाँ (iii) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (iv) शिक्षित बेरोजगार (v) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4. - महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।

5. - अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेघा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

6. - नियुक्ति में आरक्षण देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के अनुसार विकलागों को आरक्षण दिया जायेगा।

7. - पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाएँ शामिल मानी जायेगी।

8. - उचित मूल्य के दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा।

9. - निम्नलिखित व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी :–

(i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सैतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेगें।

(ii) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेगें (iii) आटा–चक्की के मालिक एवं उनके निकट सबंधियों। (iv) अवयस्क, पागल, दिवालिया व्यक्ति (v) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) के अधीन अथवा किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध व्यक्ति। (iv) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

10. - विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व एवं आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. - जन वितरण विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लंबित मामलों में पारित अंतिम आदेश तथा अनुकम्पा मामले के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है। जिसके आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. - अनुमंडलवार/प्रखंडवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियाँ अनुमंडल/प्रखंड/जिला कार्यालय के सूचनापट्ट पर एवं मधुबनी जिले के बेवसाईट Madhubani.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

13. - बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित सभी प्रावधान लागू होगा।

नोट :–

(i) आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एवं पूर्ण भरा होना चाहिए। अपूर्ण अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें।

(iii) आवेदन पत्र के साथ आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खिचा हुआ) पाँच प्रति संलग्न करना होगा तथा एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दॉये कोने में (स्वअभिप्रमाणित) चिपकाना होगा।

(iv) आवेदक को अपना मोबाईल नं० आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक

Scanned with OKEN Scanne

नीचे अंकित करना होगा।

(v) आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत/वार्ड नं0 का नाम एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।

(vi) शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(vii) आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(viii) संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(ix) आचरण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(x) एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(xi) यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरा जायेगा और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरित क्रम (Vice Versa) द्वारा भरा जायेगा।

(xii) आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता नं0, खेसरा नं0 एवं रकवा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद् की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(xiii) आवेदक इस आशय का स्वघोषणा देगें कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्टि की गई सभी सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र/कागजात सही है तथा गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

(xiv) जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति बढ़ एवं घट सकती है।

(xv) अद्योहस्ताक्षरी को आवेदन/विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(xvi) किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आदेश/अनुदेश मान्य होगा।

नोट :– इस संबंध में पूर्व निर्गत आम सूचना आदेश ज्ञापांक–791/जि0 आपूर्ति, दिनांक–19.07.2025 को रद्द समक्षा जाय।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक– 833/जि0आपूर्ति, मधुबनी, दिनांक– 31/07/2025 ई0।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रहिका/ पंडौल/ राजनगर/बाबूबरही/कलुआही/खजौली/बासोपट्टी/जयनगर/लदनियाँ/बेनीपट्टी/बिस्फी/हरलाखी/मधवापुर/फुलपरास/खुटौना/लौकही एवं घोघरडीहा को आम सूचना एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति की विवरणी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रखंड/अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर आम सूचना एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति की विवरणी आम जनता के सूचनार्थ प्रदर्शित करना (लगाना) सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदिधिकारी, मधुबनी सदर/जयनगर/बेनीपट्टी एवं फुलपरास को आम सूचना एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति की विवरणी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर आम सूचना एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति की विवरणी आम जनता के सूचनार्थ प्रदर्शित करना (लगाना) सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति की विवरणी सथानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति की विवरणी जिला के वेबसाईट पर सर्व साधारण के सूचनार्थ अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को देखते हुए आम सूचना का प्रकाशन तीन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक–07.08.2025 के पूर्व तक कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/07

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

Scanned with OKEN Scann